अधिसूचना सं0 22/2014- सीमाशुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014.

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) की धारा 68 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 84/97- सीमाशुल्क, तारीख 11 नवम्बर, 1997 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं0 645(अ), तारीख 11 नवम्बर, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"2. जहां उक्त माल का आयात 1 मार्च, 2008 से पूर्व किया गया है वहां आयातकर्ता --

(क) माल को इस शर्त के अधीन रहते हुए किसी नई परियोजना में अंतरित कर सकेगा कि आयातकर्ता आयात पत्तन पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क या उपायुक्त, सीमाशुल्क के समक्ष, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंधित अधिकारी से यह प्रमाणपत्र कि माल उक्त परियोजना के लिए अब अपेक्षित नहीं है और संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, ऐशियाई विकास बैंक या उक्त अधिसूचना के उपाबंध में सूचीबद्ध किसी अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठन से यह घोषणा प्रस्तुत करता है कि उक्त माल नई परियोजना के लिए अपेक्षित है ; या

(ख) जब माल विद्यमान परियोजना के लिए अब अपेक्षित न हो माल का इस शर्त के अधीन रहते हुए पुनः निर्यात कर सकेगा कि माल की पहचान स्थापित की गई है और ऐसे पुनःनिर्यात के लिए किसी निर्यात प्रोत्साहन का दावा नहीं किया गया है ; या

(ग) माल के अवक्षयित मूल्य पर इस शर्त के अधीन रहते हुए उस सीमाशुल्क का संदाय कर सकेगा जो तब संदेय होता यदि इसमें दी गई छूट न होती, कि आयातकर्ता आयात पत्तन पर अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति, सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क या उपायुक्त, सीमाशुल्क के समक्ष यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंधित अधिकारी से यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि माल परियोजना के लिए अपेक्षित नहीं है और उक्त माल का अवक्षयित मूल्य आयात के समय मशीनरी के मूल मूल्य में से माल की निकासी की तारीख से किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए नीचे विनिर्दिष्ट सीधी रेखा पद्धति द्वारा संगणित प्रतिशत बिन्दुओं द्वारा अधिकतम 70 प्रतिशत के अधीन रहते हुए घटा कर आयी रकम के समान होगा, अर्थात् :-

(i) पहले वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 4 प्रतिशत की दर से ;

(ii) दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 3 प्रतिशत की दर से ;

(iii) तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 2.5 प्रतिशत की दर से ;

(iv) चौथे वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों में प्रत्येक तिमाही के लिए 2 प्रतिशत की दर से ।"

[फा.सं0 334/15/2014-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण -- मूल अधिसूचना 84/1997 - सीमाशुल्क, तारीख 11 नवम्बर, 1997 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 645(अ), तारीख 11 नवम्बर, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 24/2008- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2008 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 123(अ), तारीख 1 मार्च, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी अंतिम बार संशोधित की गई थी ।